

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 201

बिषय- राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहनों के क्रय के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 65/IX-1/2013/215 /2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-152/IX-1/215(2011)/2016, दिनांक 29.02.2016 को अवक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहनों के क्रय एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्था में एकरूपता बनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय/सरकारी वाहनों के क्रय/अधिप्राप्ति के संबंध में निम्न नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय/सरकारी वाहनों की अनुमन्यता के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किये जाते हैं। अतः यह नीति उक्त आदेशों का अतिक्रमण नहीं करती है, और संबंधित विभागों की वाहनों के संबंध में अनुमन्यता की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेगी अर्थात् जिन अधिकारियों को दिनांक 17.01.2013 से पूर्व किन्हीं आदेशों के अन्तर्गत वाहन अनुमन्य है को यथावत् वाहन अनुमन्य होगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, एक अधिकारी को एक ही स्रोत से वाहन अनुमन्य होगा, भले ही अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग/पद का प्रभार हो।

(3) विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं महानुभावों को शासकीय/सरकारी वाहनों के मॉडल/मूल्य निम्न प्रकार अनुमन्य होंगे:-

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य
A	मा0 कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, प्रिन्सिपल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, महानिदेशक पुलिस।	15 लाख

B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त पुलिस महानिरीक्षक, एडीशनल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं अन्य समकक्ष।	
C	विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष।	08 लाख
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष।	06 लाख
E	जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें पूर्व से विभाग द्वारा वाहन अनुमन्य हो।	06 लाख

(4) प्रस्तर 3 में अनुमन्यता की सीमा तक वाहनों की अधिप्राप्ति निम्न प्रकार की जायेगी:-

(क) श्रेणी A के महानुभावों/अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर क्रय के माध्यम से की जायेगी, परन्तु किसी मॉडल का वाहन डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर उपलब्ध न हों, तो वाहन बाजार मूल्य पर भी क्रय किया जा सकता है।

(ख) श्रेणी B, C, D, E के अन्तर्गत मण्डलायुक्त पुलिस के अधिकारी/अन्य प्रवर्तन अधिकारियों (परिवहन, आबकारी, वन, राजस्व, वाणिज्य कर, जिला प्रशासन के अधिकारी) तथा प्रशासन की गोपनीयता संवेदनशीलता सुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे पद जिनके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की व्यवस्था करना उचित नहीं है, के लिए वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के माध्यम से की जायेगी।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अधिकारी जिनके लिए शासन/विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचना के माध्यम से वाहन क्रय किया जाना अनुमन्य किया जाय, वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर क्रय के माध्यम से की जायेगी।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त शेष अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दो विकल्प होंगे:-

(एक) आउटसोर्सिंग के माध्यम से अधिप्राप्ति द्वारा।

(दो) संबंधित अधिकारियों द्वारा निजी वाहन के शासकीय कार्य से उपयोग एवं उसके सापेक्ष रिइम्बर्समेंट/प्रतिपूर्ति द्वारा।

(ण) परन्तु, यह की किसी अधिकारी के पास यदि एक से अधिक विभागों (यथा शासन स्तर/विभागाध्यक्ष/जनपद स्तर) का दायित्व हो और उसमें से किसी भी एक विभाग में गाड़ी एवं चालक उपलब्ध हो तो संबंधित अधिकारी को अन्य माध्यम (आउटसोर्सिंग अथवा रिइम्बर्समेंट) की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(5) आउटसोर्सिंग के माध्यम से अधिप्राप्ति

(क) वाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता/अधिप्राप्ति के दृष्टिगत देहरादून जनपद के लिए परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अपर सचिव वित्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं अपर परिवहन आयुक्त, सदस्य होंगे। समिति द्वारा वाह्य स्रोत से विभिन्न मॉडल के वाहनों के लिए सांकेतिक दरों (Reference Rates) का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अन्य जिलों के लिए (देहरादून जनपद को छोड़कर) वाह्य स्रोतों से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं वित्त/लेखा सेवा के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। समिति

द्वारा जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत निविदाएँ आमंत्रित कर सभी विभागों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा और जनपद में किसी विभाग द्वारा उक्त दरों के आधार पर ही वाहनों की वाह्य स्रोत से अधिप्राप्ति की जायेगी।

6- अधिकारी द्वारा निजी वाहन से शासकीय कार्य में उपयोग एवं उसके सापेक्ष रिइम्बर्समेंट/प्रतिपूर्ति

- (क) यदि किसी अधिकारी को क्रय/आउटसोर्सिंग के माध्यम से शासकीय/सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा अपने निजी वाहन का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु किया जा सकता है तथा उसके सापेक्ष संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित दर पर प्रतिपूर्ति की जायेगी:-

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	प्रतिपूर्ति की मासिक दर
B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त पुलिस महानिरीक्षक, एडीशनल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं अन्य समकक्ष।	23,000
C	विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष।	20,000
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष।	17,000
E	जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें पूर्व से विभाग द्वारा वाहन अनुमन्य हो।	17,000

- (ख) यदि कोई अधिकारी किसी माह अवकाश पर रहता है तो, संबंधित अधिकारी को उपरोक्त अनुमन्य दर के अनुपात के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- (ग) उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 वर्ष में अथवा शासन द्वारा इसके पूर्व पुनरीक्षण किया जा सकता है।
- (घ) प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रशासकीय विभाग के अधिष्ठान मानक मद-15 "वाहन व अनुरक्षण" से किया जायेगा।
- (ण) यदि कोई अधिकारी किसी वाहन का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु करता है, तो ऐसे प्रकरणों में वाहन की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त वाहन से संबंधित अन्य समस्त दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

7- वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों का प्रतिस्थापन-

- (क) राज्य सम्पत्ति विभाग में महानुभावों/अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों व वापस करते हुए यदि नये वाहनों की माँग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा प्रथमतः निष्प्रयोज्य वाहन के बदले श्रेणी A से प्राप्त वाहनों (Handed down cars) को प्रयोग लाया जायेगा और यदि Handed down cars उपलब्ध नहीं हैं तो वाहनों का क्रय/आउटसोर्स, जैसी स्थिति हो, से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ख) इसी प्रकार श्रेणी B, C, D एवं E के जिन अधिकारियों को केवल आउटसोर्स अथवा प्रतिपूर्ति के आधार पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है और उनके वर्तमान शासकीय वाहन निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाते हैं तो उन्हें प्रथमतः Handed down cars उपलब्ध करायी जायेगी और उक्त वाहन उपलब्ध होने पर वाह्य स्रोत अथवा प्रतिपूर्ति के आधार पर वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ग) श्रेणी B, C, D, एवं E के अन्तर्गत मण्डलायुक्त, पुलिस विभाग के अधिकारी अन्य प्रवर्तन अधिकारियों (परिवहन, आबकारी, वन, राजस्व, बाणिज्य कर, जिला प्रशासन के अधिकारी) के वर्तमान शासकीय वाहन निष्प्रयोज्य होने पर उन्हें क्रय के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

2789-8

आउटसोर्सिंग तथा रिडम्बर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वाहन शासकीय चालक वाहनहीन/redundant हो जायेंगे। ऐसे वाहन चालकों के संबंध में निर्धारित की जायेगी।

- 9- विभागों में अधिकारियों की स्टॉफ कार से इतर वाहन यथा-भार वाहन, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली मोटरसाइकिल आदि के संबंध में विभिन्न विभागों में वर्तमान में अपनायी जा रही व्यवस्था लो और इस संबंध में निर्णय संबंधित विभाग के प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जाएगा।

भवदीय,

(सी०एस० नरपलचाल)
सचिव।

संख्या- IX-1/215/2011/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 11- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- 12- निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13- गार्ड फाइल।

कायदा

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

देहरादून

आज्ञा से,

दिनांक 11-4-2016 (प्रकाश चन्द्र जोशी)

उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मुख्य अभियन्ता लोकनिर्माण (लेगीय) उत्तराखण्ड।

2- समस्त अधीक्षक अभियन्ता लोकनिर्माण उत्तराखण्ड

3- समस्त अधीक्षक अभियन्ता लोकनिर्माण उत्तराखण्ड

4- समस्त अधीक्षक अभियन्ता लोकनिर्माण उत्तराखण्ड

5- समस्त अधीक्षक अभियन्ता लोकनिर्माण उत्तराखण्ड

दिनांक 11/4/16

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

माल प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

लोकनिर्माण विभाग